संख्या-31 / 2016 / 1198 / 58-2016-135 / 2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 05 मई 2016**

विषय :- अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 26.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014-का क्रियान्वयन की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-1700 हजार (रूपये- सत्रह लाख) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014-का क्रियान्वयन	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	1800	900
	27-सब्सिडी	1600	800
योग-		**3400**	**1700**

(रूपये- सत्रह लाख मात्र)

1- मद सं0-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014-के क्रियान्वयन हेतु हाफेड द्वारा बायर सेलर मीट के कार्यक्रम आयोजित करने तथा 27- सब्सिडी मद की धनराशि सब्सिडी मद पर ही नियमानुसार किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों/मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान तथा सम्बन्धित हाफेड अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

4- अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का 60 प्रतिशत उपयोग हो जाने के उपरान्त अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

6- धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

7- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व कार्य-योजना/प्रत्येक प्रस्तावित बायर सेलर मीट के कार्यक्रम के आयोजन से एक पक्ष पूर्व अवगत कराया जायेगा।

9- अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11- वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: सब्सिडी मद हेतु अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014-का क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या-31/2016-1198(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in